न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 07 / 2023

GCMS No.—2023/23

दुर्गालाल मीना पुत्र स्व. श्री नंदा राम मीना, उम्र 68 वर्ष जाति मीणा, निवासी कल्याणपुर उर्फ खातीपुरा, इन्द्रा गांधी नगर, सेक्टर 9 जिला जयपुर राजस्थान।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. जगदीश मीना पुत्र स्व. श्री लाखा
2. भगवान सहाय मीना पुत्र स्व. श्री लाखा,
3. प्रभु मीना पुत्र स्व. श्री लाखा

   समस्त जाति मीणा, निवासी कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, इन्द्रा गांधी नगर, सेक्टर 9 जिला जयपुर राजस्थान।
4. उपायुक्त महोदय नगर निगम ग्रेटर, जोन जगतपुरा, नंदपुरी, जिला जयपुर, राजस्थान।

.....विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत निरस्त किये जाने आदेश / निर्णय दिनांक 03.03.1983 ग्राम पंचायत जयपुरा, पं.स. सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) पट्टा दिनांक 03.03.1983

उपस्थितः–

1. श्री संजय श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता गैरनिगरानीकार संख्या 1 संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 22.08.2024

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत जयपुरा, पंचायत समिति सांगानेर के आदेश दिनांक 03.03.1983 की पालना में गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व. लाखा पुत्र गंगाराम जाति मीना, निवासी खातीपुरा तहसील सांगनेर के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.02.2023 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या–एक लगायत तीन की ओर से श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये एवं अप्रार्थी संख्या–4 की ओर से श्री राजेश कुमार गुर्जर उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल तलब की गई। उपायुक्त नगर निगम जोन जगतपुरा निगरानीधीन पट्टे की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त हुयी। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत जयपुरा पं.स. सांगानेर ने दिनांक 03.03.1983 को विवादित भूमि का पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व. श्री लाखा मीना के पक्ष में जारी किया है जो गलत है तथा मौके की जांच किये बिना ही व स्थानीय वार्ड पंच की रिपोर्ट के बिना ही पट्टा जारी किया है जो गलत है। उक्त विवादित भूमि पर पहले निगरानीकार के पूर्वज निवास करते थे और वर्तमान में भी निगरानीकार अपने परिवार सहित निवास कर रहा है तथा विवादित भूमि पर निगरानीकार का कब्जा है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने मौके की अनदेखी करते हुये दिनांक

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

03.03.1983 में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व. श्री लाख मीना के नाम से निःशुल्क आवासीय आवंटन पट्टा जारी किया है जो अवैध व निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत जयपुरा, पं.स. सांगानेर द्वारा दिनांक 03.03.1983 को सरपंच द्वारा ही पट्टा जारी कया गया है। अप्रार्थी उक्त विवादित स्थल से 2 किलो मीटर दूर अपने खेतो पर अपने पूर्वजो के समय से निवास करते आ रहे है। इसलिए विवादित भूमि अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। जिस कारण ग्राम पंचायत को इस भूमि पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। स्व. लाखा काश्तकार था जिसके बावजूद उसे निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत जयपुरा से सांठ–गांठ कर पट्टा जारी करवाया है। निगरानीकार अपने पूर्वजो की भूमिक पर मकान बनाकर निवास कर रहा है तथा उसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व इनके परिजन जबरन अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। अप्रार्थीगण फर्जी पट्टे के आधार पर निगरानीकार को परेशान कर रहे है। नगर निगम से प्राप्त पट्टे की प्रमाणित छायाप्रति एवं निगरानीकार द्वारा पेश किया गया पट्टा भिन्न–भिन्न है। निगरानीकार द्वारा गैर निगरानीकार के विरूद्ध पुलिस थाना खो नागोरियान में परिवाद पेश किया है। जिस कारण निगरानीकार निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहा है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा आदेश दिनांक 03.03.1983 से गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व. लाखा के हक में जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या एक लगायत तीन द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा जारी किया गया पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो में ऐसा कोई कोई भी कारण ऐसा नहीं है जो सद्भाविक हो तथा विलम्ब निगरानीकार के नियत्रंण में नहीं हो। निगरानीकार ने न्यायालय ए.सी.एम.एम. कम–4 जयपुर में दावा बउनवानी लालाराम बनाम दुर्गालाल व अन्य में प्रस्तुत जवाब में स्वयं लिखा है कि लाखा पुत्र गंगाराम का कच्चा घर था जो ढह गया अब उसकी खाली जमीन पडी है जिसका पट्टा लाखा के पास है। उक्त जवाब दावा दिनांक 05.04.2007 को प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जिसमें गैर निगरानीकार के पिता लाखा पुत्र गंगाराम के पट्टे को सही मानते हुये अपने जवाब दावे पर हस्ताक्षर किये है। उक्त विवादित पट्टे की सम्पत्ति पर वर्तमान में भूमि पर बिजली का कनेक्शन ले रखा है एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 ही काबिज चले आ रहे है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता नगर निगम द्वारा कथन किया गया कि ग्राम पंचायत जयपुरा की पट्टा पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड सूची में उपलब्ध नहीं है एवं पट्टे की प्रमाणित छायाप्रति माननीय न्यायालय में पेश की जा चुकी है।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी व गैर निगरानीकार अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली अनुपलब्ध है एवं नगर निगम कार्यालय द्वारा पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रेषित की है। इसलिए निगरानी का निस्तारण पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। विचाराधीन निगरानी में ग्राम पंचायत जयपुरा के आदेश दिनांक 03.03.1983 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व. लाखा पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी खातीपुरा के हक में वाके ग्राम खातीपुरा का पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत जयपुर द्वारा तत्समय स्व. लाखा को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 की धारा 71 के तहत पट्टा दिया जाना जाहिर होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि निगरानीकार दुर्गालाल द्वारा माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश कम–4 जयपुर शहर के समक्ष विचाराधीन वाद बउनवानी लालाराम बनाम दुर्गालाल वगैरहा में निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर लाखा पुत्र गंगाराम का कच्चा घर होना एवं खाली जमीन होना एवं निगरानीधीन भूमि का पट्टा लाखा के पास होने बाबत जवाब पेश किया है एवं प्रस्तुत जवाब में निगरानीकार दुर्गालाल के हस्ताक्षर अंकित है। जबकि निगरानीकार द्वारा निगरानी मीमो में अंकित किया है कि निगरानीधीन भूमि पर निगरानीकार एवं उसके पूर्वजो का कब्जा रहा है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण में निगरानीकार द्वारा गलत तथ्य पेश कर निगरानी पेश किया जाना जाहिर होता है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण बउनवानी लालाराम बनाम दुर्गालाल वगै0 प्रकरण में नियुक्त मौका कमीश्नर की रिपोर्ट दिनांक 25.05.2002 में स्व. लाखा की खाली जगह होना अंकित है एवं दिनांक 25.05.2002 को बनाये गये नक्शे में भी लाखा का घर होना अंकित है। निगरानीकार ने अपने कथनों के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया कि जिससे ये जाहिर हो कि निगरानीकार निगरानीधीन पट्टे की भूमि से किस प्रकार से संबंध/सरोकार रखते है। जबकि गैर निगरानीकार द्वारा निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर अपने कब्जे के संबंध में विद्युत कनेक्शन की छायाप्रति, फाटोग्राफ्स आदि पेश किये है। निगरानीकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर भी दिये गये तथ्य उचित प्रतीत नहीं होते है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टे की प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जगतपुरा से प्राप्त हुयी इसलिए पट्टे की वैधानिकता विश्वसनीय प्रतीत होती है। अतएव निगरानीकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपायुक्त नगर निगम जोन जगतपुरा को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश कुमार नेवल)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर